



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 03 सितम्बर, 2024 / 12 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA**  
Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009

NOTIFICATION

*Shimla, the 30th August, 2024*

**No. HPERC-418.**—In exercise of the powers conferred by Section 181 read with Sections 39, 40, 42 and 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and Section 21 of the General Clauses Act, 1907, the following notification is hereby issued:

118—राजपत्र / 2024-03-09-2024

(5441)

Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, makes the following Regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010, namely:—

### REGULATIONS

**1. Short title and commencement.**— (1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) (Second Amendment) Regulations, 2024.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Regulation 6.**—In Regulation 6 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the “said Regulations”), in sub-regulation (3), for the words “rupees five thousand”, the words “rupees fifteen thousand” shall be substituted.

**3. Amendment of Regulation 26.**— In Regulation 26 of the said Regulations, for the word, signs and figures “Rs.2000/-”, the word, signs and figures “Rs.5000/-” shall be substituted.

By order of the Commission,

Sd/-  
Secretary.

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA**  
Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009

### NOTIFICATION

*Shimla, the 30th August, 2024*

**No. HPERC- SLDC/479.**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 181 read with sub-section (3) of Section 32 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and Section 21 of the General Clauses Act 1897(10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission makes following Regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Levy and Collection of Fees and Charges by State Load Despatch Centre) Regulations, 2011, namely:—

### REGULATIONS

**1. Short title and commencement.**— (1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Levy and Collection of Fees and Charges by State Load Despatch Centre) (Third Amendment) Regulations, 2024.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Regulation 20.**—In Regulation 20 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Levy and Collection of Fees and Charges by State Load Despatch Centre) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as the “said Regulations”), in sub-regulation (1) for the figures and signs “15.5%”, the figures and signs “14.5%” shall be substituted; and for the existing Illustration appearing under sub-regulation 3, the following Illustration shall be substituted, namely:—

“Illustration:—

- (i) In case of the power system operation company paying Minimum Alternate Tax (MAT)@ 17.16% including surcharge and cess:

$$\text{Rate of return on equity} = 14.50 / (1 - 0.1716) = 17.504\%.$$

- (ii) In case of the power system operation company paying normal corporate tax @ 27.82% including surcharge and cess:

$$\text{Rate of return on equity} = 14.50 / (1 - 0.2782) = 20.089\%.”.$$

**3. Amendment of Regulation 27.**— In Regulation 27 of the said Regulations—

- (i) in sub-regulation (2) for the word and figure “Rs. 1 Lakh”, the word and figure “Rs. 3 Lakhs” shall be substituted; and
- (ii) existing sub-regulation (3) shall be omitted.

**4. Amendment of Appendix-II.**—In Appendix-II of the said Regulations, for the existing “Depreciation Schedule”, the following “Depreciation Schedule” shall be substituted, namely:—

“DEPRECIATION SCHEDULE

Sl. No	Asset Particulars	Depreciation Rate -Existing	Depreciation Rate-Proposed
<b>A.</b>	<b>Land owned under full ownership</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>B.</b>	<b>Land under lease</b>		
(a)	For investment in land	3.34%	3.34%
(b)	For cost of clearing site	3.34%	3.34%
<b>C.</b>	<b>Other Assets</b>		
(a)	Building & civil engineering works :		
(i)	Offices and residential	1.63%	3.34%
(ii)	Containing plant and equipments	3.34%	3.34%
(iii)	Temporary erection such as wooden structures	3.34%	100.00%
(iv)	Roads other than kutchha roads	100.00%	3.34%
(v)	Others	1.63%	3.34%
(b)	Transformers, kiosk sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations):		

Sl. No	Asset Particulars	Depreciation Rate -Existing	Depreciation Rate-Proposed
(i)	Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	5.28%	5.28%
(ii)	Others	5.28%	5.28%
(c)	Switchgear, including cable connections	5.28%	5.28%
(d)	Lightning arrestors:		
(i)	Station type	5.28%	5.28%
(ii)	Pole type	5.28%	5.28%
(iii)	Synchronous condenser	5.28%	5.28%
(e)	Batteries:	5.28%	15.00%
(i)	Underground cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%	5.28%
(ii)	Cable duct system	3.34%	3.34%
(f)	Overhead lines including cable support		
(i)	Lines on fabricated steel operating at terminal voltages higher than 66 kV	3.34%	3.34%
(ii)	Lines on steel supports operating at terminal voltages higher than 13.2 kV but not exceeding 66 kV	5.28%	5.28%
(iii)	Lines on steel or reinforced concrete supports	5.28%	5.28%
(iv)	Lines on treated wood supports	5.28%	5.28%
(g)	Meters	5.28%	5.28%
(h)	Self propelled vehicles	9.50%	9.50%
(i)	Air conditioning plants:		
(i)	Static	5.28%	5.28%
(ii)	Portable	9.50%	9.50%
(j)	Office Furniture and Fixtures:		
(i)	Office furniture and furnishings	6.33%	6.33%
(ii)	Office equipments	6.33%	6.33%
(iii)	Internal wirings including fittings and apparatus	6.33%	6.33%
(iv)	Street Light fittings	5.28%	5.28%
(k)	Apparatus let on hire:		
(i)	Other than motors	9.50%	9.50%

Sl. No	Asset Particulars	Depreciation Rate -Existing	Depreciation Rate-Proposed
(ii)	Motors	6.33%	6.33%
(l)	Communication equipment:		
(i)	Radio and higher frequency carrier systems	6.33%	6.33%
(ii)	Telephone lines and telephones	6.33%	6.33%
(m)	IT Equipments	15.00%	15.00%
(n)	Softwares	30.00%	15.00%
(o)	Any other assets not covered above	5.28%	5.28%

”

By order of the Commission,

Sd/  
Secretary.

## हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 2 सितम्बर, 2024

**संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-84/2024.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित /—  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

2024 का विधेयक संख्यांक 5

## हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 1 का संशोधन।
3. धारा 2 का संशोधन।
4. धारा 37 का संशोधन।
5. धारा 71 का संशोधन।

## हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**2. धारा 1 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 1 में,—

(क) उपधारा (3क) में, "2500 वर्ग मीटर" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1000 वर्ग मीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3ख) यह इस अधिनियम के अधीन गठित अधिसूचित योजना क्षेत्रों या विशेष क्षेत्रों से बाहर किसी क्षेत्र पर विकसित किए जाने वाले 1000 वर्ग मीटर से अधिक प्लाट क्षेत्र वाले समस्त भवन या परियोजनाओं को लागू होगा।"

**3. धारा 2 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(डक) "सक्षम प्राधिकारी" से निदेशक या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;"; और

(ख) खण्ड (णक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(णख) "भू-सम्पदा परियोजना" से, यथास्थिति, किसी भवन या अपार्टमेंटों वाले किसी भवन का विकास या किसी विद्यमान भवन या उसके किसी भाग का अपार्टमेंटों में संपरिवर्तन या, यथास्थिति, प्लॉटों या अपार्टमेंटों में भूमि का, उक्त सभी या कुछ अपार्टमेंटों या प्लॉटों या भवनों के विक्रय के प्रयोजनार्थ विकास अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्र, विकास संकर्म, उस पर के सभी सुधार-कार्य और संरचनाएं और सभी सुखाचार अधिकार और उससे संबद्ध अनुलग्नक भी है;";

**4. धारा 37 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 37 में,—

(क) "नगर और ग्राम विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" शब्द जहां-जहां आते हैं के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (2) में "नगर योजना अधिकारी द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 71 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 71 के खण्ड (ख) में, "अध्याय 9-क और 9-ख के सिवाय" शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

2023 और 2024 की वर्षा ऋतु के दौरान हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है। यह क्षति मुख्य रूप से नदियों में बाढ़ के कारण हुए कटाव और भूस्खलन के कारण हुई है। इस संबंध में विशेष रूप से भूस्खलन या इमारतों के ढहने की घटनाओं को कम करने के लिए, यह जरूरी है कि जिस क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जाता है, उस क्षेत्र की उचित जल निकासी के साथ-साथ इमारत की मजबूत नींव और संरचना की स्थिरता सुनिश्चित की जाए। यह तभी संभव है जब इमारतों का निर्माण नगर एवं ग्राम योजना विभाग से मंजूरी के बाद किया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को अधिसूचित योजना क्षेत्र और विशेष क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में भी विस्तारित करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त अधिनियम की धारा 1 में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। तदनुसार 1000 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट क्षेत्र वाले समस्त भवनों या परियोजनाओं को अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लाया जा रहा है।

क्योंकि अधिनियम में सक्षम प्राधिकारी की कोई उचित परिभाषा विद्यमान नहीं है। अतः, इसे और अधिक विवेकपूर्ण बनाने और अस्पष्टता की किसी भी गुंजाइश को दूर करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा को सम्मिलित करना आवश्यक है।

निरस्तीकरण और संशोधन या भूमि के विकास की अनुमति की शक्तियों से सम्बन्धित उपबंध स्पष्ट नहीं हैं इसलिए, अनावश्यक वादों से बचने के लिए धारा 37 के उपबंध संशोधित किए जा रहे हैं।

अधिनियम के अध्याय IX-क और IX-ख को वर्ष 2018 में हटा दिया गया था। क्योंकि रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कार्यों को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के माध्यम से विनियमित किया जा रहा है। इसलिए, धारा 71 में उपर्युक्त अध्याय का उल्लेख का लोप किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(राजेश धर्माणी)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला:  
तारीख,.....2024

---

**वित्तीय ज्ञापन**

—शून्य—

-----

**प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन**

—शून्य—

-----

**हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(राजेश धर्माणी)  
प्रभारी मंत्री।

-----

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)

शिमला:

तारीख.....,2024



**Bill No. 5 of 2024**

**THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT)  
BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 1.
3. Amendment of section 2.
4. Amendment of section 37.
5. Amendment of section 71.

**Bill No. 5 of 2024**

**THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT)  
BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

**2. Amendment of section 1.**—In section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as the “principal Act”),—

- (a) in sub-section (3A), for the number and letter “2500 M<sup>2</sup>”, the number and letter “1000 M<sup>2</sup>” shall be substituted; and
- (b) after sub-section (3A), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3B) It shall apply to all buildings or projects having plot area of more than 1000 M<sup>2</sup> to be developed on any area outside the notified planning areas or special areas constituted under this Act.”.

**3. Amendment of section 2.**—In section 2 of the principal Act,—

(a) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ea) “competent authority” means the Director or any other officer authorised by the State Government, by notification, to exercise the powers of the Director under this Act;” and

(b) after clause (oa), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ob) “Real Estate Project” means the development of a building or a building consisting of apartments, or converting an existing building or a part thereof into apartments, or the development of land into plots or apartments, as the case may be, for the purpose of selling all or some of the said apartments or plots or building, as the case may be, and includes the common areas, the development works, all improvements and structures thereon, and all easement, rights and appurtenances belonging thereto;”.

**4. Amendment of section 37.**—In section 37 of the principal Act,—

(a) for the words “Town and Country Development Authority or the Special Area Development Authority” wherever occurs, the words “Competent Authority” shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), the words “by the Town Planning Officer” shall be omitted.

**5. Amendment of section 71.**—In section 71 of the principal Act, in clause (b), the words and signs “except CHAPTERS-IX-A and IX-B;” shall be omitted.

### STATEMENTS OF OBJECTS AND REASONS

During the monsoon season of 2023 and 2024 as well, there has been a widespread loss of life and property in Himachal Pradesh. The damage has been caused mainly due to erosion resulting from flooding of streams and landslides. In this respect particularly to mitigate the occurrence of landslides or associated collapse of buildings, it is imperative that strong foundation and structural stability of building be ensured along with proper drainage of the area where buildings are constructed. This is possible if the buildings are constructed after approval from the Town and Country Planning Department. To achieve this objective, the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 needs to be extended to the areas outside the notified Planning Areas and Special Areas. Therefore, amendment in section 1 of the Act *ibid.* is being proposed. Accordingly all the buildings or projects having plot area of more than 1000 square meters are being brought under the purview of the Act.

Since the proper definition of the Competent Authority does not exist in the Act, therefore, in order to make it more prudent and to remove any scope of the ambiguity, the definition of the Competent Authority is being inserted.

The provision relating to the powers of revocation and modification or permission to the development of land is not clear. Therefore, in order to avoid unnecessary litigation, the provision of section 37 is being amended.

Chapter IX-A and IX-B of the Act were omitted in the years 2018 as the functions regarding registration of Real Estate Project are being regulated through Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016. Thus, the reference of aforesaid Chapters is required to be deleted from section 71.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(RAJESH DHARMANI)**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA :

The.....2024

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

—NIL—

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

—NIL—

---

**THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING  
(AMENDMENT) BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).*

**(RAJESH DHARMANI)**  
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

THE....., 2024.

## ग्रामीण विकास विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 31 मई, 2024

**संख्या: आर0 डी0-ए(3)-1/2024.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में अनुसंधान अधिकारी, ग्रुप-ए (अलिपिकवर्गीय), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध —“क” के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, अनुसंधान अधिकारी, ग्रुप-ए (अलिपिकवर्गीय), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2.	निरसन और व्यावृत्तियां।	(1) अधिसूचना संख्या: का0 (प्रशिक्षण) ए (3)-3/87, तारीख 12-03-1997 द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या: का0(प्रशिक्षण)ए(3)-3/87-II, तारीख 18-03-2008 को संशोधित हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, अनुसंधान अधिकारी वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

सचिव(ग्रामीण विकास)।

उपाबन्ध-क

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में अनुसंधान अधिकारी, ग्रुप-ए के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम :	अनुसंधान अधिकारी
2.	पद की संख्या :	01 (एक)
3.	वर्गीकरण :	ग्रुप-ए (अलिपिकवर्गीय)
4.	वेतनमान :	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान:  हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)-16।

		<p>(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:</p> <p>हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लेवल (स्तर)-16 के प्रथम कोष्ठ का 60 (साठ प्रतिशत) ।</p>
5.	“चयन” पद अथवा “अचयन” पद :	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु:	<p>18 से 45 वर्ष:</p> <p>परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:</p> <p>परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :</p> <p>परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :</p> <p>परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमलेन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा</p>

		<p>में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे ।</p> <p>टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।</p>
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	<p>(क) अनिवार्य अर्हताएं:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित में नियमित स्नातकोत्तर उपाधि रखते हों।</p> <p>(ii) अधिमानतः सरकारी विभाग निगमों/बोर्डों में सामाजिक विज्ञान में डाटा विश्लेषण और अनुसंधान में कम से कम दो साल का अनुभव ।</p> <p>(iii) पदधारी के पास कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए।</p> <p>(ख) वांछनीय अर्हता(एं):</p> <p>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</p>
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दश में लागू होंगी या नहीं:	<p>आयु : लागू नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	<p>(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।</p> <p>(ख) संविदा, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।</p>
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	<p>शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर ।</p>

11.	प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा:	(i) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में सपरूप वेतनमान में कार्यरत सदृश पद के पदधारियों और स्तम्भ संख्या 7(क) में यथाविहित अर्हताएं रखते हों, में से सैकेण्डमेंट/ स्थानान्तरण द्वारा।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/ विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना :	(क) विभागीय प्रोन्नति समिति: लागू नहीं। (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति:  जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षण, दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:-  (I) संकल्पना:  (क) इस पॉलिसी के अधीन राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हिमाचल प्रदेश में अनुसंधान अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :  परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण -पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।  (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग

	<p><b>के कार्यक्षेत्र में आना:</b> प्रशासनिक सचिव (ग्रामीण विकास ) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के समक्ष रखेगा।</p> <p>(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।</p> <p><b>(II) संविदात्मक उपलब्धियां :</b></p> <p>संविदा के आधार पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी को रूपए 29,220/- प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 : (साठ प्रतिशत) होगी) संदत्त की जाएगी।</p> <p><b>(iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:</b></p> <p>प्रशासनिक सचिव (ग्रामीण विकास)हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।</p> <p><b>(vi) चयन प्रक्रिया:</b></p> <p>संविदा भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/ या व्यवहारिक परीक्षण, दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।</p> <p><b>(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:</b></p> <p>जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय- समय पर गठित की जाए।</p> <p><b>(VI) करार:</b></p> <p>अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध-“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।</p>
--	--



**(VII) निबन्धन और शर्तें :**

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी को रूपए 29,220/- प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60% (साठ प्रतिशत) होगी) संदत की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अनुपभुक्त अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

	<p>(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी। किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :</p> <p>परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।</p> <p>(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे</p>
--	--

		<p>गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।</p> <p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ. /जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होंगे।</p>
16.	आरक्षण:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा:	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18.	शिथिल करने की शक्ति:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों का लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-“ख”

अनुसंधान अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रशासनिक सचिव (ग्रामीण विकास) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
 निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्  
 “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रशासनिक सचिव (ग्रामीण विकास)  
 हिमाचल प्रदेश सरकार जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख  
 .....को किया गया।

**द्वितीय पक्षकार** ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने अनुसंधान अधिकारी के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** ..... के रूप में .....से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ..... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक प्रतिमास रकम 29,220/- रुपये होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60: (साठ प्रतिशत) होगी) (29,200 का तीन प्रतिशत रकम पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में वार्षिक वृद्धि के रूप में प्रदान की जाएगी यदि संविदा को एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जाना अनुज्ञात होगा है।
3. **संविदा पर नियुक्त व्यक्ति** की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्त (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी, जो उससे उच्चतर पक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचितकरना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बिमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

#### साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

#### साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....  
.....  
.....  
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. RD-A(3)-1/2024, dated 31-05-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

## RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 31st May, 2024

**No. RD-A(3)-1/2024.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Research Officer, Group-A (Non-Ministerial) in the Department of Rural Development, Himachal Pradesh as per ANNEXURE“A” attached to this notification, namely:—

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Rural Development, Research Officer, Group-A (Non-Ministerial) Recruitment and Promotion Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**2. Repeal and Savings**—(1) The Himachal Pradesh, Institute of Public Administration, Research Officer (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified *vide* Notification No. Per(Trg)-(A)-(3)-3/87, dated 12th March, 1997 and amended on 18th March, 2008 *vide* Notification No. Per(Trg.)A(3)-3/87-II are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,  
Secretary(Rural Development).

ANNEXURE “A”

### RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF RESEARCH OFFICER, GROUP-A, IN THE H.P. STATE INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT, DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH

1.	<b>Name of post:</b>	Research Officer
2.	<b>Number of post:</b>	01(one)
3.	<b>Classification:</b>	Group-A (Non-Ministerial)

4.	<b>Scale of Pay:</b>	<p><b>(i) Pay Scale for regular incumbent(s):</b></p> <p>Level-16 of the pay matrix as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.</p> <p><b>(ii) Emoluments for contract employee(s):</b></p> <p>60% of the first cell of the Level-16 of the Pay Matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.</p>
5.	<b>Whether “Selection” post or “Non-Selection” post:</b>	Selection
6.	<b>Age for direct recruitment:</b>	Between 18 to 45 years
		<p>Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on <i>ad-hoc</i> or on contract basis;</p> <p>Provided further that if a candidate appointed on <i>ad-hoc</i> or on contract basis had become overage on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such <i>ad-hoc</i> or contract appointment:</p> <p>Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:</p> <p>Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.</p> <p><b>Note.</b>—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the</p>

		Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7.	<b>Minimum education and other qualifications required for direct recruit(s):</b>	<p>(a) Essential Qualifications:</p> <p>(i) Must possess a regular Master's Degree in Commerce/ Economics/Statistics/Maths from a recognized University.</p> <p>(ii) Atleast two years experience in data analysis and research in social sciences, preferably in Govt. Department/ Corporations/Boards.</p> <p>(iii) The incumbent should have one year diploma in computer applications.</p> <p>(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</p>
8.	<b>Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):</b>	<p><i>Age:</i> Not applicable <i>Educational qualification:</i> Not applicable</p>
9.	<b>Period of probation, if any:</b>	<p>(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.</p> <p>(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis.</p>
10.	<b>Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:</b>	100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be failing which on secondment basis
11.	<b>In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made:</b>	By secondment/transfer from amongst the incumbents of analogous post working in the identical pay scale from the other Himachal Pradesh Government Departments and possessing qualifications as prescribed in Column No. 7(a).
12.	<b>If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition:</b>	<p>(a) <u>Departmental Promotion Committee:</u> Not applicable</p> <p>(b) <u>Departmental Confirmation Committee:</u> As may be constituted by the Government from time to time</p>
13.	<b>Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission(HPPSC) is to be consulted in making recruitment:</b>	As required under the Law



14.	<b>Essential requirement for direct recruitment:</b>	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	<b>Selection for appointment to the post by direct recruitment:</b>	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and / or practical test or skill test or physical test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission / other recruiting agency/authority, as the case may be.
15-A	<b>Selection for appointment to the post by contract appointment:</b>	<p>Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—</p> <p>(I) CONCEPT:</p> <p>(a) Under this policy the Research Officer, in State Institute of Rural Development, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:</p> <p>Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.</p> <p>(b) <u>POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:</u></p> <p>The Administrative Secretary (Rural Development) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.</p> <p>(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.</p> <p>(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:</p> <p>The Research Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 29,220/- P.M. (which shall be 60% of first cell of the applicable level of Pay Matrix of the</p>

		<p>corresponding cadre).</p> <p>(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY</p> <p>The Administrative Secretary (Rural Development) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing &amp; disciplinary authority.</p> <p>(IV) SELECTION PROCESS:</p> <p>Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination and / or practical test or skill test or physical test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission / other recruiting agency/authority, as the case may be.</p> <p>(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS</p> <p>As may be constituted by the concerned recruiting agency <i>i.e.</i> the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.</p> <p>(VI) AGREEMENT:</p> <p>After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these rules.</p> <p>(VII) TERMS &amp; CONDITIONS:</p> <p>(a) The Research Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹29,220/- P.M. (which shall be 60% of first cell of the applicable level of Pay Matrix of the corresponding cadre).</p> <p>(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders</p>
--	--	---

		<p>is delivered to him/her.</p> <p>(c) The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.</p> <p>Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.</p> <p>(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:</p> <p>Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.</p> <p>(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.</p> <p>(f) Selected candidate will have to submit a</p>
--	--	--

		<p>certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.</p> <p>(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.</p> <p>(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules &amp; Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will also not be applicable to contract appointee(s).</p>
16.	<b>Reservation:</b>	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribal/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	<b>Departmental Examination:</b>	Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18.	<b>Powers to Relax:</b>	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these

	rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
--	--

## ANNEXURE-“B”

**Form of contract /agreement to be executed between the Research Officer and the Government of Himachal Pradesh through Administrative Secretary (Rural Development) to the Govt. of Himachal Pradesh**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_  
Between Sh./Smt. \_\_\_\_\_ s/o/d/o  
Shri. \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_ Contract  
appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Administrative Secretary (Rural Development) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Core Faculty on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Research Officer for a period of 1 year commencing on day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the \_\_\_\_\_ FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day i.e. on ----- and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `29,200 /- per month (which shall be 60% of first cell of the applicable level of Pay Matrix of the corresponding cadre)). An amount of ₹/- (3% of the 29,200 is given as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
3. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks'

standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. \_\_\_\_\_

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 09/IX-A/23 तारीख दायर दावा : 24-08-2023 अग्रिम तारीख पेशी : 04-09-2024

श्री बचित्र सिंह पुत्र श्री रूमालो, निवासी गांव मुगाट, डा० तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

**बनाम**

1. श्री बलवीर सिंह सुपुत्र श्री ज्ञानो, 2. श्री गोपाल सिंह पुत्र सुपुत्र श्री ज्ञानो, 3. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री ज्ञानो, 4. श्री किशनो सुपुत्र श्री रिझो, 5. श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री रूमालो, 6. श्री गंधर्प सिंह सुपुत्र श्री रूमालो, 7. अशोक कुमार सुपुत्र श्री रूमालो, समस्त निवासीगण गांव मुगाट, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि० प्र० प्रत्यार्थीगण।

दरखास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं० 2/2, खसरा नम्बर 61, 62, 69, 74, 82, 87, 90, 92, 94, 109, 117, 133, 148, 188, 193, 207, 232, 253, कित्ता-18, रकबा तादादी 17-09-00 बीघा मुहाल बाही दा बाग, पटवार वृत्त तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मुहाल बाही दा बाग के खाता खतौनी नं० 2/2, खसरा नम्बर 61, 62, 69, 74, 82, 87, 90, 92, 94, 109, 117, 133, 148, 188, 193, 207, 232, 253, कित्ता-18, रकबा तादादी 17-09-00 बीघा उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि०प्र०) की तकसीम करवाने हेतु दरखास्त गुजारी है। प्रत्यार्थी नं० 4, श्री किशनो सुपुत्र श्री रिझो की मृत्यु हो चुकी है, के जायज वारसान में से उसके पुत्र सलवान सिंह व उसकी पुत्री शकुन्तला देवी को बार-बार समन जारी किये गये। लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को यकीन हो चुका है कि इन्हें समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-09-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री शाम सिंह सुपत्र श्री फता, निवासी गांव छम्बर, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त श्री शाम सिंह सुपत्र श्री फता, निवासी गांव छम्बर, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम शाम सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल छम्बर, पटवार वृत्त तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से श्याम सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-09-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री केवल सुपत्र श्री धर्म सिंह, गांव सुनागर, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त श्री केवल सुपत्र श्री धर्म सिंह, गांव सुनागर, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम केवल है, जोकि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल रौणी, पटवार वृत्त तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से केवल कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।



इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-09-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री गाँधी राम सुपत्र श्री जीतो राम, निवासी गांव द्रवड, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त श्री गाँधी राम सुपत्र श्री जीतो राम, निवासी गांव द्रवड, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम दर्शन है, जोकि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के नकल परिवार रजिस्टर, आयकर विभाग व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल चलामा, पटवार वृत्त घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से गान्धी राम दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-09-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री दर्शन सुपत्र श्री चतरो, निवासी गांव कुडेरा, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त श्री दर्शन सुपत्र श्री चतरो, निवासी गांव कुडेरा, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम दर्शन है, जोकि ग्राम पंचायत घटासनी के नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड व प्रार्थी के आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल कुडेरा, पटवार वृत्त घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से दर्शनो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-09-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री यशपाल सिंह सुपत्र श्री फोलो राम, निवासी गांव काथलू, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त श्री यशपाल सिंह सुपत्र श्री फोलो राम, निवासी गांव काथलू, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम यशपाल सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत परछोड़ के नकल परिवार रजिस्टर, आयकर विभाग व प्रार्थी के आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल डंगारड, पटवार वृत्त तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से अजय कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-09-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री राज कुमार सुपत्र श्री भगत राम, निवासी गांव मामल, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त श्री राज कुमार सुपत्र श्री भगत राम, निवासी गांव मामल, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम क्रमशः राज कुमार व भगत राम है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा कम्बा के नकल परिवार रजिस्टर, आयकर विभाग, स्कूल प्रमाण-पत्रों व प्रार्थी के आधार कार्ड आदि में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल मामल, पटवार वृत्त घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से राज पुत्र भगतो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-09-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री गुरचरण सुपत्र श्री प्रकाश चंद, निवासी गांव बडिगी, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त श्री गुरचरण सुपत्र श्री प्रकाश चंद, निवासी गांव बडिगी, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम प्रकाश चंद है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा के नकल परिवार रजिस्टर, आयकर विभाग व प्रार्थी के आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल बडिगी, पटवार वृत्त तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से अजय कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-09-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 09/Teh/Bht/2016 तारीख दायर दावा : 02-06-2016 अग्रिम तारीख पेशी : 07-09-2024

श्री संसार चंद पुत्र श्री होशियारा, निवासी गांव बेढल, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

#### बनाम

1. श्री जोध राज सुपत्र श्री प्रभो, 2. श्री संजय कुमार सुपत्र श्री प्रभो, 3. श्रीमती चिन्तो देवी पत्नी श्री प्रभो, 4. श्री बाबू राम सुपत्र श्री महन्त, 5. श्री राज कुमार सुपत्र श्री महन्त, 6. श्री सुभाष सुपत्र श्री महन्त, 7. श्री यशपाल सुपत्र श्री महन्त, 8. श्रीमती विमला देवी सुपत्री श्री महन्त, 9. श्रीमती जरमो देवी सुपत्री श्री महन्त, 10. श्रीमती शांति देवी सुपत्री श्री महन्त, 11. श्रीमती सरला देवी सुपत्री श्री महन्त, 12. श्रीमती रेसो विधवा श्री महन्त, 13. श्री करनैल सिंह सुपत्र श्री भगतो, 14. श्री कानू राम सुपत्र श्री भगतो, उपरोक्त सभी निवासी गांव बेढल, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश 15. श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री मस्त राम, निवासी गांव अलेड़, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रत्यार्थीगण।

दरखास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 10/10, खसरा नम्बरान कित्ता-6, रकबा तादादी 07-12-00 बीघा मुहाल बेढल, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा बेढल के खाता खतौनी नं0 10/10, खसरा नम्बरान, कित्ता-6, रकबा तादादी 07-12-00 बीघा उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) की तकसीम करवाने हेतु दरखास्त गुजारी है। प्रत्यार्थी नं0 11, श्रीमती सरला देवी सुपत्री श्री महन्त की मृत्यु हो चुकी है, के जायज वारसान में से उसकी पुत्री काजल को बार-बार समन जारी किये गये। लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को यकीन हो चुका है कि इन्हें समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07-09-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी होटल मेहर गाँधी चौक डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र किरायेदार दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी जमाबन्दी वर्ष 2017-18 मुहाल डलहौजी खास के खाता/खतौनी नं0 111/174, खसरा नं0 668, 669, 717 पटवार वृत्त डलहौजी में नाम काश्तकार व एहवाल में चमेरा जल विद्युत परियोजना किरायदारान दर्ज है। जोकि गलत है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के किरायेदार दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 05-09-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके किरायेदार दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री बुधि सिंह, निवासी वार्ड नं0 04 सदर बाजार डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र किरायेदार दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी जमाबन्दी वर्ष 2019-20 मुहाल डलहौजी खास के खाता/खतौनी नं0 137/186, खसरा

नं0 1341/860 पटवार वृत्त डलहौजी में नाम काश्तकार व एहवाल में कब्जा स्वयं मुख्तलिफ किरायदारान दर्ज है। जोकि गलत है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के किरायेदार दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 05-09-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके किरायेदार दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शंकुन्तला पत्नी श्री कुन्दन लाल, निवासी वार्ड नं0 04 सदर बाजार डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र किरायेदार दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनकी जमाबन्दी वर्ष 2019-20 मुहाल डलहौजी खास के खाता/खतौनी नं0 135/184, खसरा नं0 917 पटवार वृत्त डलहौजी में नाम काश्तकार व एहवाल में कब्जा स्वयं मुख्तलिफ किरायदारान दर्ज है। जोकि गलत है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के किरायेदार दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 05-09-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके किरायेदार दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)**

श्रीमती ललिता कुमारी पुत्री श्री लौंगू राम, निवासी डडोल, डा0 मैरेमसीत, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) हाल निवासी पत्नी निक्का राम, गांव स्टोह, डा0 राजगढ़, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती ललिता कुमारी पुत्री श्री लौंगू राम, निवासी डडोल, डा0 मैरेमसीत, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1973 को निवासी डडोल, डा0 मैरेमसीत में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कलौहड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2024 को मुकरर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)**

श्री सफी मोहम्मद पुत्र श्री जान मोहम्मद, निवासी डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री सफी मोहम्मद पुत्र श्री जान मोहम्मद, निवासी डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-06-1975 को निवासी डिनक, डाकघर कनैड में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील

सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 23/2024

तारीख मजरूआ : 02-08-2024

तारीख पेशी : 06-09-2024

सुरेश चौधरी, मकान नम्बर 291/11 थनेहड़ा मुहल्ला, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम इशतहार गजट पत्र/प्रकाशन बारे दुरुस्ती बारे।

सुरेश चौधरी, मकान नम्बर 291/11 थनेहड़ा मुहल्ला, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरी पुशतैनी भूमि जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में है जिसका खसरा नम्बर 324, खाता/खतौनी नम्बर 26, रकबा 00-05-01 वर्ष 2020-2021 में है वहां के राजस्व रिकार्ड में मेरी जाति जट उपजाति छोकर दर्ज है। जो कि सही है तथा जिसका हवाला शजरा नस्ब में दर्ज है। मेरी माता जी ने वर्ष 1990 में मुहाल टारना, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में भूमि जिसका खसरा नम्बर 4123/2955/1435 है ली थी। मुहाल टारना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज मेरी गलत जाति राजपूत व उपजाति काश्व की जगह मेरी सही जाति जट व उपजाति छोकर को दर्ज करने के आदेश पारित किए जाए।

अतः सर्वसाधारण को गजट में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त जाति को दुरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-09-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 01-08-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।



**ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 : /2024

तारीख मजरूआ : 05-08-2024

तारीख पेशी : 17-09-2024

ब मुकदमा

धूमा देवी पत्नी श्री विजय कुमार, निवासी गांव कोलनी, डा0 ढलवाण, उप-तहसील ढलवाण, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ..वादी

बनाम

आम जनता

..प्रतिवादीगण।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी/समाचार पत्र बाबत प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकदमा अवान वाला में धूमा देवी पत्नी श्री विजय कुमार, निवासी गांव कोलनी, डा0 ढलवाण, उप-तहसील ढलवाण, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक आवेदन पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित किया है कि उसकी पुत्री कृतिका ठाकुर अपनी नानी श्रीमती मीना देवी, निवासी गांव मसेरन, डा0 मझवाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी के घर पर मेहमान गई हुई थी उस दौरान दिनांक 14-08-2023 को हुई भारी वर्षा के कारण बादल फटने से उनकी माता का घर मलबे के साथ बह गया जिसमें घर में मौजूद प्रार्थिनि की पुत्री कृतिका ठाकुर पुत्री विजय कुमार, निवासी गांव कोलनी, डा0 ढलवाण, उप-तहसील ढलवाण अपनी नानी श्रीमती मीना देवी के साथ बह गई थी तथा अथक प्रयास करने उपरान्त भी उनका कोई अता पता न चल सका है तथा उनका ब्यान है कि उनकी पुत्री कृतिका ठाकुर पुत्री विजय कुमार की मृत्यु दिनांक 14-08-2023 को भारी वर्षा के कारण पानी में बहने के कारण हो चुकी है। इस आवेदन के माध्यम से प्रार्थिनि अपनी पुत्री कृतिका ठाकुर, निवासी गांव कोलनी, डा0 ढलवाण, उप-तहसील ढलवाण, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की मृत्यु दिनांक 14-08-2023 को अपनी ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

उपरोक्त विचाराधीन मामले में प्रतिवादी आम जनता को इश्तहार समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्री कृतिका ठाकुर पुत्री श्री विजय कुमार, निवासी गांव कोलनी, डा0 ढलवाण, उप-तहसील ढलवाण, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की मृत्यु दिनांक 14-08-2023 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2024 को असागतन या वकालतन दोपहर 02.30 बजे मेरे न्यायालय में हाजिर आकर अपना पक्ष लिखित या मौखिक पेश कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 16-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
उप-मण्डल सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 : /2024

तारीख मजरूआ : 05-08-2024

तारीख पेशी : 17-09-2024

ब मुकदमा

हेमन्त कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री खेम चन्द, निवासी गांव मसेरन, पंचायत व डा0 मझवाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ..वादी

बनाम

आम जनता

..प्रतिवादीगण।

इशतहार मुस्त्री मुनादी/समाचार पत्र बावत प्रार्थना-पत्र अधिन धारा 13 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा अवान वाला में श्री हेमन्त कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री खेम चन्द, निवासी गांव मसेरन, पंचायत व डा0 मझवाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधिन धारा 13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित किया है कि दिनांक 14-08-2023 को हुई भारी वर्षा के कारण बादल फटने से उनका घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था तथा मलबे के साथ बह गया जिसमें घर में मौजूद आवेदक की माता श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 श्री खेम चन्द, निवासी गांव मसेरन, पंचायत व डा0 मझवाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी व भांजी कृतिका ठाकुर पुत्री विजय कुमार भी साथ बह गई थी तथा अथक प्रयास करने उपरान्त भी उनका कोई अता पता न चल सका है तथा आवेदक का ब्यान है कि उनकी माता श्रीमती मीना देवी की मृत्यु दिनांक 14-08-2023 को भारी वर्षा के कारण बादल फटने से आये पानी में बहने के कारण हो चुकी है। इस आवेदन के माध्यम से प्रार्थी अपनी माता श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 श्री खेम चन्द, निवासी गांव मसेरन की मृत्यु दिनांक 14-08-2023 को ग्राम पंचायत मझवाड़ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त विचाराधीन मामले में प्रतिवादी आम जनता को इशतहार समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 श्री खेम चन्द, निवासी गांव मसेरन की मृत्यु दिनांक 14-08-2023 भारी वर्षा के कारण बादल फटने से आये पानी में बहने के कारण हो चुकी है को ग्राम पंचायत मझवाड़ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2024 को असालतन या वकालतन दोपहर 02.30 बजे मेरे न्यायालय में हाजिर आकर अपना पक्ष लिखित या मौखिक पेश कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी आपती पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 16-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
उप-मण्डल सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 19/2024

तारीख मरजुआ : 30-06-2024

तारीख पेशी : 12-09-2024

कांता देवी पत्नी श्री संजय कुमार, निवासी गांव मेहड़, डा0 टाण्डू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे इशतहार समाचार पत्र/मुश्री मुनादी जेर धारा 13/3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1669.

श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री संजय कुमार, निवासी गांव मेहड़, डा0 टाण्डू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते की रहने वाली हूं। मेरे पती श्री संजय कुमार की मृत्यु दिनांक 02-02-2022 को घर पर गांव मेहड़, डा0 टाण्डू, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुई है, पर अज्ञानतावश/अनजाने में वे मृतक की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत टाण्डू के रिकार्ड में दर्ज न करा सके है। जिसे अब दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित मृतक श्री संजय कुमार की मृत्यु तिथि 02-02-2022 के दर्ज करने बारे आम जनता को अखबार इशतहार गजट पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थि के पति मृतक श्री संजय कुमार की मृत्यु तिथि 02-02-2022 को ग्राम पंचायत टाण्डू के रिकार्ड के रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारे कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 12-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे से पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। निशिचित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 20/2024

तारीख मरजुआ : 30-06-2024

तारीख पेशी : 12-09-2024

खीमावती पुत्री श्री भादरू, निवासी गांव मेहड़, डा0 टाण्डू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे इशतहार समाचार पत्र/मुश्री मुनादी जेर धारा 13/3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1669.

श्रीमती खीमावती पुत्री श्री भादरू, निवासी गांव मेहड़, डा0 टाण्डू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते की रहने वाली हूं। मेरा जन्म दिनांक 24-02-1967 को घर पर गांव मेहड़, डा0 टाण्डू, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है पर अज्ञानतावश/अनजाने में ग्राम पंचायत टाण्डू के रिकार्ड में दर्ज न करा सके है। जिसे अब दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित नाम व तिथि के दर्ज करने बारे आम जनता को अखबार इशतहार गजट पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिनि की जन्म तिथि 24-02-1967 को ग्राम पंचायत टाण्डू के रिकार्ड के रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारे कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 12-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे से पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निशिचित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 12-09-2024

श्री दुर्गा सिंह पुत्र श्री नाथ, निवासी गांव मतेहड़, डा0 पण्डोल, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री दुर्गा सिंह पुत्र श्री नाथ, निवासी गांव मतेहड़, डा0 पण्डोल, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 06-08-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम दुर्गा सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल मतेहड़ में डागू दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र व नकल जमाबन्दी साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने का आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल मतेहड़ में प्रार्थी का नाम डागू के स्थान पर डागू उपनाम दुर्गा सिंह पुत्र श्री नाथ, निवासी गांव मतेहड़, डा0 पण्डोल, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-09-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 19-09-2024

श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री रौशन लाल पुत्र डिफु, निवासी गांव तनसाल, डा0 बाग, तहसील लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री रौशन लाल पुत्र डिफु, निवासी गांव तनसाल, डा0 बाग, तहसील लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 17-08-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने  
प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुन सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व  
अभिलेख महाल तनसाल व महाल जटेहड़ में अर्जुन कुमार दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने  
अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा पत्र,  
परिवार नकल, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के  
आदेश पारित करने का आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी  
व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल तनसाल व महाल जटेहड़ में प्रार्थी का नाम अर्जुन कुमार के स्थान पर  
अर्जुन कुमार उपनाम अर्जुन सिंह पुत्र श्री रौशन लाल पुत्र डिफु, निवासी गांव तनसाल, डा0 बाग, तहसील  
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या  
वकालतन तारीख पेशी 19-09-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना  
उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती  
दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 17-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 03-10-2024

श्री रिकू राणा पुत्र श्री राजमल पुत्र जगर नाथ, निवासी गांव रोपड़ी, डा0 घमीरु, तहसील लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री रिकू राणा पुत्र श्री राजमल पुत्र जगर नाथ, निवासी गांव रोपड़ी, डा0 घमीरु, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 22-08-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रिकू राणा है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल रोपड़ी में रिकू दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने का आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल रोपड़ी में प्रार्थी का नाम रिकू के स्थान पर रिकू उपनाम रिकू राणा पुत्र श्री राजमल पुत्र जगर नाथ, निवासी गांव रोपड़ी, डा0 घमीरु, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 03-10-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 22-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्रीमती शान्ता शुक्ला, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार करसोग, जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 14

तारीख मरजुआ : 13-08-2024

तारीख पेशी : 23-09-2024

विद्या देवी पुत्री श्री कौल राम वर्तमान पत्नी श्री टेक सिंह, निवासी बालू कुफरी, डा0 माहूनाग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) हि0प्र0 जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम विद्या देवी पुत्री श्री कौल राम वर्तमान पत्नी श्री टेक सिंह, निवासी बालू कुफरी, डा0 माहूनाग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि0 प्र0 का आवेदन पत्र जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी के माध्यम से इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ पत्र, प्रपत्र संख्या 10, वोटर कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम विद्या देवी व जन्म तिथि 27-11-1996 है किसी कारणवश/इलाकगैर होने के कारण प्रार्थिया का परिवार प्रार्थिया के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सवामाहू के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न करवा सके। अब प्रार्थिया अपना नाम विद्या देवी व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सवामाहू के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस संदर्भ में प्रार्थिया द्वारा अपना नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु एवं जिला चिकित्सा अधिकारी मण्डी के कार्यालय में आवेदन किया गया था जिस पर जिला चिकित्सा अधिकारी मण्डी की रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हो चुकी है।

आम जनता को राजपत्र में प्रकाशन द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम विद्या देवी पुत्र कौल राम व जन्म तिथि 27-11-1996 को ग्राम पंचायत सवामाहू के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज इस अदालत में मिति 23-09-2024 को प्रातः

10.00 बजे पेश कर सकते हैं। किसी से कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सवामाहू के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाने बोर आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
करसोग, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-----

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),  
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Shubham Sehgal s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Sehgal Niwas, Near Bus Stand Mashobra (B), Tehsil Shimla (Rural) District Shimla (H.P.)-age 29 years.

2. Ms. Kajal Kumari d/o Sh. Subhash Chand, r/o Kakkar (31/13), Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.)-age 24 years.

*Versus*

General Public

*Subject.*—Registration of Marriage u/s 8(3) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Shubham Sehgal s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Sehgal Niwas, Near Bus Stand Mashobra (B), Tehsil Shimla (Rural) District Shimla (H.P.)-age 29 years & Ms. Kajal Kumari d/o Sh. Subhash Chand, r/o Kakkar (31/13), Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.)-age 24 years have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 22-10-2023, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of concerned M. C./ Gram Panchayat, Tehsil and District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 21st August, 2024.

Seal.

Sd/-  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).*

-----

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),  
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Rameshwar Grover s/o Late Sh. Ramesh Kumar, r/o House No. 3/1, Village Sharog, P.O. Totu, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.)-age 31 years.

2. Ms. Himani d/o Sh. Ramesh Grover, r/o House No. 202, Gali No. 10, West Guru Anand Nagar, Laxmi Nagar, East Delhi, India-age 31 years.

*Versus*

General Public

*Subject.*—Registration of Marriage u/s 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Rameshwar Grover s/o Late Sh. Ramesh Kumar, r/o House No. 3/1, Village Sharog, P.O. Totu, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.) & Ms. Himani d/o Sh. Ramesh Grover, r/o House No. 202, Gali No. 10, West Guru Anand Nagar, Laxmi Nagar, East Delhi, India have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 27-05-2023, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of concerned M. C./ Gram Panchayat, Tehsil and District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 21st August, 2024.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),  
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Pankaj Bisht s/o Sh. Pushkar Singh Bisht, r/o Set No. 329, Block No. 19, Sector-3, New Shimla, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.)-age 31 years.

2. Ms. Ritika Chauhan d/o Late Sh. Ranvir Singh, r/o VPO Dalash, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.)-age 29 years.

*Versus*

General Public

*Subject.*—Registration of Marriage u/s 8(3) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Pankaj Bisht s/o Sh. Pushkar Singh Bisht, r/o Set No. 329, Block No. 19, Sector-3, New Shimla, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.) & Ms. Ritika Chauhan d/o Late Sh. Ranvir Singh, r/o VPO Dalash, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 18-04-2024, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of concerned M. C./ Gram Panchayat, Tehsil and District Shimla.



Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 21st August, 2024.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),  
District Shimla (H. P.)**

Sh. Rambir Singh Pundir s/o Sh. Durga Singh, r/o H.No. 543, Type-4, Sector-3, R.K. Puram, South West Delhi-110 022.

*Versus*

General Public

*. . Respondent.*

Whereas, Sh. Rambir Singh Pundir s/o Sh. Durga Singh, r/o H.No. 543, Type-4, Sector-3, R.K. Puram, South West Delhi-110 022 filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter namely Neha d/o Sh. Rambir Singh Pundir in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Jalel, Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Neha	Daughter	28-10-1992

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Jalel, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 28-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla(R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),  
District Shimla (H. P.)**

Smt. Dwarku Devi w/o Lt. Sh. Gira Ram & d/o Sh. Anokhi Ram, r/o Village Majhai, P.O. Badheri, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Dwarku Devi w/o Lt. Sh. Gira Ram & d/o Sh. Anokhi Ram, r/o Village Majhai, P.O. Badheri, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself namely Dwarku Devi as 01-07-1946 in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Totu Majthai, Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Dwarku Devi	Self	01-07-1946

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Totu Majthai, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 27-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla(R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate, Theog, Tehsil Theog,  
District Shimla (H. P.)**

Smt. Jamna Devi d/o Sh. Hiru Ram, r/o Village Kajiwal Chunger, P.O. Shilaroo, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas, a case regarding entry of birth of Smt. Jamna Devi d/o Sh. Hiru Ram, r/o Village Kajiwal Chunger, P.O. Shilaroo, Tehsil Theog has been received in this office from Additional District Registrar of the Birth & Death *vide* Letter No. 5993, dated 22-08-2024 for further necessary action under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Jamna Devi has also submitted an application on dated 27-08-2024 in this office to enter the date of birth of herself in the record of Registrar, Birth & Death, in Gram Panchayat Kalzaar Matiana, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the person whose date of birth is to be entered	Relation	Date of Birth
1.	Jamna Devi	Self	01-07-1964

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named person in the records of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Kalzaar Matiana, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) may file their claims/objections in the court within one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 28-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/  
Executive Magistrate,  
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)**

Smt. Mom Kali Devi w/o Sh. Tilak, r/o Chauhan Niwas, Dev Nagar, Shimla-9, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Mom Kali Devi w/o Sh. Tilak, r/o Chauhan Niwas, Dev Nagar, Shimla-9, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself namely Mom Kali Devi w/o Sh. Tilak, r/o Chauhan Niwas, Dev Nagar, Shimla-9, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) in the records of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Mom Kali Devi	Self	01-01-1976

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the records of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 27-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/  
Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla(R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)**

Smt. Parvati w/o Sh. Ajay, r/o Sarswati Niwas, Dev Nagar, Kasumpti, Shimla-9, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Parvati w/o Sh. Ajay, r/o Sarswati Niwas, Dev Nagar, Kasumpti, Shimla-9, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself namely Smt. Parvati w/o Sh. Ajay, r/o Sarswati Niwas, Dev Nagar, Kasumpti, Shimla-9, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) in the records of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Parvati	Self	09-02-1990

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the records of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 27-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla(R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Sh. Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)**

Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son namely Sh. Munish Kumar s/o Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) in the records of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Munish Kumar	Son	01-11-2014

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the records of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 27-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla(R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)**

Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son namely Sh. Manohar Kumar s/o Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) in the records of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Manohar Kumar	Son	14-04-2010

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the records of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 27-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla(R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)**

Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter namely Anjali Kumari d/o Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) in the records of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Anjali Kumari	Daughter	11-01-2009

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the records of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 27-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla(R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Sh. Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)**

Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter namely Arti Kumari d/o Sh. Chote Lal Thakur s/o Sh. Anup Thakur, r/o Kamal Niwas, Bhatta Kuffer, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) in the records of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Arti Kumari	Daughter	14-03-2012

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the records of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 27-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla(R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Rural), District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Saurabh Sharma s/o Late Sh. Satish Sharma, r/o Dev Bhawan, Lower Shiv Nagar, Kasumpti, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.) age 36 years.

2. Ms. Nisha Sharma d/o Sh. Shiv Dutt Sharma, r/o Village Baru, P.O. Jais, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) age 39 years.

*Versus*

General Public

*Subject.*—Registration of Marriage u/s 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Saurabh Sharma s/o Late Sh. Satish Sharma, r/o Dev Bhawan, Lower Shiv Nagar, Kasumpti, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.) & Ms. Nisha Sharma d/o Sh. Shiv Dutt Sharma, r/o Village Baru, P.O. Jais, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 16-04-2024, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of concerned M. C./ Gram Panchayat, Tehsil and District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 21th August, 2024.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).*

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 21 IX / 2020

तारीख मरजुआ : 20-11-2020

तारीख पेशी : 04-09-2024

1. श्रीमती समृति पत्नी श्री सचिन, निवासी कौस्त भोम नजदीक गोमा कलिनिक लोअर चक्कर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचन प्रदेश।

2. श्री सचिन पुत्र हरि राम, कौस्त भोम नजदीक गोमा कलिनिक लोअर चक्कर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचन प्रदेश

..प्रार्थी।

बनाम

1. इन्द्र सिंह पुत्र श्री हेत राम, निवासी वॉवी, डाकघर चनोग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचन प्रदेश, 2. रमेश पुत्र श्री हेत राम, निवासी वॉवी, डाकघर चनोग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचन प्रदेश।  
...प्रतिवादीगण।

1. श्रीमती समृति पत्नी श्री सचिन, निवासी कौस्त भोम नजदीक गोमा कलिनिक लोअर चक्कर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

2. श्री सचिन पुत्र हरि राम, कौस्त भोम नजदीक गोमा कलिनिक लोअर चक्कर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचन प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बरायें जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 30/60, खसरा नं0 48, 89, 124, 132, 186, 210, 312, 313, 448, 450, 797, 810, कित्ता-12, वाका महाल वॉवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु वादीगण के मौका पर न मिलने व लापता रिपोर्ट तामील कुनिंदा के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ व अन्य कारण के उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहा है।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 04-09-2024 को प्रातः 2.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 16-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)**

श्री भजना राम पुत्र चिन्त राम, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

...वादी।

बनाम



आम जनता

प्रतिवादीगण।

दरखास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल पालकवाह निचला, पालकवाह खास, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री भजना राम पुत्र चिन्त राम, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल पालकवाह निचला जमाबन्दी वर्ष 2018—19, पालकवाह खास जमाबन्दी वर्ष 2021—22 में प्रार्थी का नाम भजन लाल पुत्र चिन्तु गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम भजन लाल पुत्र चिन्तु की बजाये भजन लाल उर्फ भजना राम पुत्र चिन्तु सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार अखबार/नोटिस व मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04—09—2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त हुआ तो एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 26—07—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री सुरजीत राम पुत्र दलीपा, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

दरखास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री सुरजीत राम पुत्र दलीपा, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल बाथड़ी खेवट नं0 454, 461, 531, 537, 532, 464, 465, 449, 448, 74, 75 जमाबन्दी वर्ष 2021—22 में प्रार्थी का नाम श्री जीत राम उपनाम सुरजीत सिंह पुत्र दलीपा गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम जीत राम उपनाम सुरजीत सिंह उपनाम सरजीत राम पुत्र दलीपा सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार अखबार/नोटिस व मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05—09—2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 05-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)**

श्री जतिन्दर कुमार पुत्र गन्धर्व सिंह, वासी कर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

दरखास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कर्मपुरा, पालकवाह निचला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री जतिन्दर कुमार पुत्र गन्धर्व सिंह, वासी कर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड खेवट नं0 67, खतौनी नं0 72 जमाबन्दी वर्ष 2017-18 महाल कर्मपुरा तथा खेवट नं0 258, खतौनी नं0 303 जमाबन्दी वर्ष 2018-19 महाल पालकवाह निचला में प्रार्थी का नाम जतिन्दर सिंह पुत्र गन्धर्व सिंह गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम जतिन्दर सिंह पुत्र गन्धर्व सिंह की बजाये जतिन्दर सिंह उर्फ जतिन्दर कुमार पुत्र गन्धर्व सिंह सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्ट्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 05-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)**

1. श्री नरेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव कलरुही, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)
2. श्रीमती पायल पुत्री राम पाल, निवासी गांव मासेवाल, तहसील श्री आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर (पंजाब)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री नरेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव कलरुही, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती पायल पुत्री राम पाल, निवासी गांव मासेवाल, तहसील श्री आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर (पंजाब) के साथ दिनांक 10-02-2023 को मुताबिक हिन्दू रीति—रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति—पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत कलरुही के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 23-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)**

1. श्री पुश्रीक वर्मा पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, वासी गांव मैडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)
2. श्रीमती शिवानी गोगने पुत्री श्री सुरिन्दर गोगने, वासी गांव शिवनंदनपुर, वार्ड नं0 17, पुलिस थाना विश्रामपुर, तहसील व जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री पुश्रीक वर्मा पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, वासी गांव मैडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती शिवानी गोगने पुत्री श्री सुरिन्दर

गोगने, वासी गांव शिवनंदनपुर, वार्ड नं0 17, पुलिस थाना विश्रामपुर, तहसील व जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के साथ दिनांक 03-05-2023 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत मैडी के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 09-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)**

1. श्री बंटी वर्मा पुत्र परविन्द्र कुमार, निवासी गांव अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)
2. श्रीमती वीनू पुत्री ज्योती स्वरूप, निवासी नजदीक औजला फाटक शिव कॉलोनी कपूरथला (पंजाब)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री बंटी वर्मा पुत्र परविन्द्र कुमार, निवासी गांव अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती वीनू पुत्री ज्योती स्वरूप, निवासी नजदीक औजला फाटक शिव कॉलोनी कपूरथला (पंजाब) के साथ दिनांक 11-09-2021 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 23-09-2024 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड,  
जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 03 / 2024

तारीख मरजुआ : 25-06-2024

तारीख पेशी : 06-08-2024

1. सौरभ कुमार पुत्र विजय कुमार, निवासी गांव व डाकघर दुलैहड, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0।

2. राधा पुत्री अशोक कुमार, निवासी गांव रामपुर बिलडों, तहसील गढ़शंकर, जिला ऊना, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 अधीन धारा 8(4) के तहत दर्ज करवाने बारे।

सौरभ कुमार पुत्र विजय कुमार, निवासी गांव व डाकघर दुलैहड, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने अपनी और से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी शादी राधा पुत्री अशोक कुमार, निवासी गांव रामपुर बिलडों, तहसील गढ़शंकर, जिला ऊना, हि0 प्र0 से दिनांक 02-07-2023 को हुई है जो कि ग्राम पंचायत हीरां नगर के रिकार्ड में दर्ज न है और वह अपनी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत हीरां नगर में करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी सौरभ कुमार पुत्र विजय कुमार, निवासी गांव व डाकघर दुलैहड, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0 व राधा पुत्री अशोक कुमार, निवासी गांव रामपुर बिलडों, तहसील गढ़शंकर, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने अपनी शादी की फोटो, शपथ पत्र व अन्य कागजात पेश किए जो कि संलग्न मिसल किए गए।

इस बारे में आम जनता को बजरिया इश्तहार अखबार/मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी सौरभ कुमार पुत्र विजय कुमार, निवासी गांव व डाकघर दुलैहड, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0 व राधा पुत्री अशोक कुमार, निवासी गांव रामपुर बिलडों, तहसील गढ़शंकर, जिला ऊना, हि0 प्र0 का विवाह तारीख 02-07-2023 पंजीकरण ग्राम पंचायत हीरां नगर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-09-2024 को सुबह 11.00 बजे को अदालत में मुकाम उप-तहसील दुलैहड पेश कर सकता है। कोई एतराज व आपत्ति न होने की सूरत में विवाह पंजीकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके उपरान्त कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार व मेरे हस्ताक्षर दिनांक 09-08-2024 को जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड,  
जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 41 / 2024

तारीख दायर : 26-06-2024

तारीख पेशी : 20-08-2024

मोहिन्दर सिंह पुत्र महां पुत्र विशम्बर दास, निवासी वोलेवाल, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0।

मोहिन्दर सिंह पुत्र महां पुत्र विशम्बर दास, निवासी वोलेवाल, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के दादा का नाम विशम्बर दास पुत्र चुहड सिंह है। लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल थडा में वख्तावर सिंह दर्ज है। जो कि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व अभिलेख के महाल थडा में वख्तावर सिंह उर्फ विशम्बर दास पुत्र चुहड सिंह दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इशतहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 18-09-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 21-08-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी,  
, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह,  
जिला ऊना (हि0प्र0)

विवाह पंजीकरण

1. श्री विनय कुमार पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी गांव अम्बोटा, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती नीतू रानी पुत्री पवन कुमार, निवासी गांव कपाहत, डा0 मुस्तापुर, तहसील व जिला होशियारपुर, पंजाब, हाल पत्नी श्री विनय कुमार पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी गांव अम्बोटा, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

श्री विनय कुमार पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी गांव अम्बोटा, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) व श्रीमती नीतू रानी पुत्री पवन कुमार, निवासी गांव कपाहत, डा0 मुस्तापुर, तहसील व जिला होशियारपुर, पंजाब, हाल पत्नी श्री विनय कुमार पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी गांव अम्बोटा, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 10-02-2023 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज से हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्बोटा के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी व प्रार्थिया ने अपनी शादी की पुष्टि बारे अपने विवाह की फोटो, शपथ-पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न

किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्बोटा के अनुसार शादी सम्बन्धित ग्राम पंचायत अम्बोटा में दर्ज न है। अब प्रार्थीगण अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2024 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत अम्बोटा को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह,  
उप-तहसील गगरेट, जिला रुना (हि0प्र0)।

### CHANGE OF NAME

I, Prakash Chandel (48) s/o Surat Ram, r/o Village Barog, P.O. Dhamandri, Teh. Theog, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Prakash to Prakash Chandel. All concerned please note.

PRAKASH CHANDEL  
s/o Surat Ram,  
r/o Village Barog, P.O. Dhamandri,  
Teh. Theog, Distt. Shimla (H.P.).

